



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.



मुख्यालय/HEADQUARTERS

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N.D.- 02
Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074
Email: med6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फाइल संख्या: A-42013/9/2025-MED-VI

दिनांक: 09.02.2026

वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या- 31

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी की सेवाएँ 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत जारी रखने के आदेश दिये हैं:

The Competent Authority has approved the continuation of service of the following Medical Officer beyond 62 years:

| क्रम संख्या | चिकित्सा अधिकारी का नाम | वर्तमान तैनाती | जन्मतिथि | सेवानिवृत्ति की नियत निर्धारित तिथि | सेवाकाल जारी रखने |
|-------------|--|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | डॉ. सुरेखा गणेश औटी, विशेषज्ञ, (एसएजी) कर्मचारी आईडी-120988 Dr. Surekha Ganesh Autee, Specialist (SAG) Employee ID-120988 | ESIC Hospital, Bibvewadi | 03/06/1964 | 30/06/2026 | Till further orders or upto 30/06/2029, whichever is earlier |

- उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही तैनात रहेंगे। तथापि, कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार उन्हें भारत में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

The above Medical officer will be posted at the present place of posting till further orders. However, she is liable to be posted anywhere in India as per functional requirement.

- 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी की सेवा को 65 वर्ष तक जारी रखने की अनुमति केवल नैदानिक/रोगी देखभाल ड्यूटी संबंधित प्रशिक्षण कार्य

के लिए ही प्रदान की गई है। उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी को कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, यहां तक कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी नहीं।

Continuation of service of above Medical Officer beyond the age of 62 years, up to 65 years has been approved, exclusively for clinical/patient care duties including clinical/patient care/training attached to teaching activities. The above Medical Officer will not be assigned any administrative work not even as additional charge.

सहायक निदेशक
(चिकित्सा प्रशासन)

सेवा में ,

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी /Concerned Medical Officer
2. सभी संबंधित बीमा आयुक्त/ चिकित्सा आयुक्त/क. रा. बी. निगम मुख्यालय। All concerned Insurance Commissioner / Medical Commissioner/ESIC Hqrs.
3. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त / आंचलिक चिकित्सा आयुक्त/ क.रा.बी.निगम। All Zonal Insurance Commissioner/Zonal Medical Commissioner/ ESIC.
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक/उप-निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय। All Regional Director, Regional Office/Deputy Director In-charge, Sub Regional Office.
5. संबंधित क. रा. वि. नि. अस्पताल / क. रा. बि. नि. मेडिकल कॉलेज के डीन / चिकित्सा अधीक्षक, उप-चिकित्सा अधीक्षक/ डीडीएफ। Concerned ESIC hospitals/Dean of ESIC Medical College/Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent/ DDF.
6. चिकित्सा शाखा-4/ चिकित्सा (शिक्षा) शाखा, ए. रा. बीएससी निगमित मुख्यालय। चिकित्सा शाखा-IV/चिकित्सा (शिक्षा) शाखा ईएसआईसी मुख्यालय। Medical branch-IV/Medical (Education) branch ESIC Hqrs.
7. वेबसाईट कंटेन्ट मैनेजर, को अपलोड करने हेतु Website content manager ESIC Hqrs, to upload on ESIC Hqrs, website.
8. गार्ड फाइल। Guard File.